24/12/2020 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित
पत्रावली एवं पत्रावली का
बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना-
अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना-
पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए
अपनी बहस में बताया कि ग्राम गढ़बोर
तहसील गढ़बोर की आराजी नम्बर 2381
रकबा 1-05-10 बीघा भूमि प्रार्थी एवं उसके
भाई मोहन व बद्रीलाल के नाम पर राजस्व
रेकार्ड में दर्ज है जिसके कोट कता हुआ है।
विपक्षीगण प्रार्थी के हिस्से की दस बिस्वा
भूमि पर जबरन कब्जा कर रहे है व
प्रार्थी की भूमि की खुर्द-बुर्द का निर्माण
कार्य करने को तत्पर है मना करने पर
नही मान लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा
है जिस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का
वाद पेश कर रखा है जिसके निस्तारण
में समय लगेगा। तब तक उक्त वादग्रस्त
भूमि पर विपक्षीगण के विरुद्ध इस
आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी
की जावे कि प्रार्थी के उपयोग उपभोग
में दखलन्दाजी नही करे, भूमि खुर्द-बुर्द
नही करे, निर्माण नही करे। अधिवक्ता
विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब में अंकित
तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस
में बताया कि उक्त वादग्रस्त भूमि में से
11 बिस्वा (ग्यारह बिस्वा) भूमि प्रार्थी
के पूर्वाधिकारी धन्ना पिता तुलसा
लोहार ने 80/- रुपये में मोती
पेमा अमरा पिता तुलसा को विक्रय
स्टाम्प पर विक्रय कर कब्जा सुपुर्द
किया है उक्त बेची गई भूमि पर
सन 1962 के पश्चात से आज दिन
तक प्रार्थी का हक अधिकार व कब्जा
नही रहा। व 58 वर्षों से उक्त क्रय
शुदा भूमि पर विपक्षी व परिवार
का कब्जा लगातार निर्विघ्न शांतिपूर्ण

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़
जिला-राजसमन्द

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

राजस्व - पत्रावली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द

संख्या 32 सन् 2020 किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र

गिरधारी बनाम रूपलाल वगैरह

आदेशिका	हस्ताक्षर / सूचना
अधिकारपूर्वक चला आ रहा है। प्रार्थी का उक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं है। प्रार्थी के मन में बेइमानी आने से यह मिथ्या वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने आईयों को भी पक्षकार नहीं बनाया है। अतः नो पजेशन नो इंजक्शन के सिद्धान्त पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त किया जावे व विपक्षी को प्रार्थी से प्रतिकात्मक खर्चा दिलाया जावे। बहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन से सिद्ध है कि वाद का विनिश्चयन साक्ष्य सबूतों के आधार पर होगा तब तक वाद की बहुलता न बढ़े इस हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना न्यायोचित प्रतीत होती है। अतः उक्त वाद ग्रस्त भूमि पर मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उभय पक्ष मौके की यथास्थिति बनाये रखे। एवं निर्माण कार्य नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नामबर से दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द	

Scanned with CamScanner